



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-
सेवा में,

30L

/ रेनुकूट / 15-258

दिनांक, रेनुकूट, जुलाई,

21,

2022

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर०ओ० व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/DISP/49674/2020)

संदर्भ:-

- 1-अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- 1007/81-2-2022 -800(15)/2022 लखनऊ दिनांक- 08.06.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3507/11-सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक- 10.06.2022
- 3-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- 5318/मी०क्षे०/33 दिनांक-15.06.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 08.06.2022 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 202/रेनुकूट/15-258 दिनांक- 15.07.2022 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रेनुकूट-सोनभद्र से अपनी स्पष्ट आख्या/औचित्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रेनुकूट-सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 126/न०प्र०रे०/2022-23 दिनांक- 16.07.2022 द्वारा अपनी आख्या /औचित्य प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर प्रभाग की आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- 1007/81-2-2022 -800(15)/2022 लखनऊ दिनांक- 08.06.2022 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	2-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा विषयगत प्रकरण को मेरिट (Merit) पर निरस्त किया गया है । प्रकरण को उ०प्र० सरकार को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है	प्रश्नगत प्रकरण में निम्नानुसार अवगत कराना है :- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक- 08बी/यू०पी०/०९/२२८/०९/२०२१/एफ०सी०/४७४ दिनांक- 22.10.2021 द्वारा प्रस्ताव को निम्नानुसार निरस्त किया गया है :-

कृपया विषयगत प्रस्ताव/प्रकरण का गहन परीक्षण कर औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

The proposal is rejected on grounds of merit since proposals of non site specific project on forest land are normally not entertained as per FCA guidelines.

2- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2003 (गाइडलाइन्स एवं क्लीयरिफिकेशन्स) के चैप्टर 1 के 1.15 निम्नानुसार है :-

Diversion of forest land for non-site-specific projects: A number of proposals for diversion of forest land for non-site-specific projects like industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are received by the Central Government. Attention is drawn to items 1(iv) and 8 of the Form 'A' in which the proposal is to be submitted by the State Government. In these columns, justification for locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reasons for their rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification for locating non-site-specific projects on forest land. Therefore, the State Government should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area.

3- यहाँ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या- एफ.नं. 112-9/98-एफ.सी. दिनांक- 13 मई 2011 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्यो हेतु 05 हे0 (पाँच हेक्टेयर) तक वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये अनुमति दिये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है :-

--I am directed to say that in partial modification of this Ministry's said letter of even number dated 03.11.2010, to facilitate expeditious creation of the critical public utility infrastructure in 60(sixty) Left Wing Extermism affected districts, the existing general approval under Section-2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department is further relaxed to diversion of not more than 5.00 ha of forest land in each case, in these districts . The activities covered under the General approval are as below:

- 1- Schools.
- 2- Dispensaries/Hospitals.
- 3- Electrical and Telecommunication Lines.
- 4- Drinking Water .

- 5- Water/Rain Water Harvesting Structures.
- 6- Minor Irrigation Canal,
- 7- Non Conventional Sources of Energy.
- 8- Skill up Gradation/Vocational Training Center.
- 9- Power Sub-stations.
- 10-Rural roads.
- 11-Communication Posts.
- 12-Police establishments like police Stations/Outposts/Border Outposts/Watch Towers in sensitive area (identified by Ministry of Home Affairs); and
- 13-Undergroujd laying of optical fibre cables, telephone lines & drinking water supply lines.

4- भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक- 13 मई 2011 में वर्णित 13 क्रियाकलापो की अनुमति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत केवल जनपद-सोनभद्र के लिए ही व्यवस्था दी गयी है, जिसमें नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा प्रस्तावित कार्य- Dispensaries/Hospitals., Communication Posts & drinking water supply lines. आदि सम्मिलित है" ।

5- प्रश्नगत परियोजना के वन क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में आख्या/औचित्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, रेनुकूट-सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 126/न0प0रे0/2022-23 दिनांक-16.07.2022 द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि आम जनता को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध हो सके इस हेतु नगर पंचायत रेनुकूट के क्षेत्राधिकार में कोई भी सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और न ही इस हेतु अन्य कोई वैकल्पिक गैर वन भूमि ही उपलब्ध है इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भी वन भूमि की माँग एवं औचित्य के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है ।

अतः उक्त परियोजना को भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स एवं भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 13 मई 2011 में उल्लिखित प्राविधान जो उत्तर प्रदेश के केवल जनपद -सोनभद्र हेतु निर्धारित किया गया है, के क्रम में विशेष रूप से विचार करते हुए स्वीकृति किये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है ।

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 301, अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु उच्च स्तर स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

